(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

उनवान .....[illegible]..... मुकदमा नं० .....[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	27/12/18 वकालत ने कार्य स्थगित कर रखा है पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 12/2/19 को पेश हो	
	19/2/19 वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 26/3/19 को पेश हो	
26/3/19	वकील प्रार्थी, वादी/अप्रार्थी, प्रतिवादी एवं पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित है। दिनांक 23/5/19 को पेश हो	
23/5/19	वकील प्रार्थी, वादी/अप्रार्थी, प्रतिवादी एवं पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित है। दिनांक 27/6/19 को पेश हो	
27/6/19	वकील प्रार्थी, वादी/अप्रार्थी, प्रतिवादी एवं पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित है। दिनांक 19/8/19 को पेश हो	
19/8/19	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। यहां वादी को वकील वादी अनुपस्थित। अतः यहां वादी को वकील वादी की अनुपस्थिति व अनुपस्थिति में 9 R 3 CPC के तहत वाद खारिज किया जाता है। निकाल फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी बाद बाकी। वकील अपील रखता है।	

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner